हरिभूमि
बिलासपुर भूमि - Page 1
27 July 2025

हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर सुनाया फैसला

मिशन हास्पिटल परिसर खाली करने 17 परिवारों को 30 दिन की मोहलत

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

हाईकोर्ट ने मिशन हास्पिटल परिसर में लंबे समय से रह रहे 17 परिवारों को जगह खाली करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। दरअसल परिसर खाली करने तहसीलदार द्वारा 48 घंटे का समय दिए जाने के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मानवीय आधार पर यह मोहलत दी है।

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि तय समय के बाद यदि परिसर खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि

■ एसडीएम के समक्ष अपील की भी दी लोगों को छूट

याचिकाकर्ताओं के पास एसडीएम के समक्ष अपील का विकल्प मौजूद है, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

मिशन हॉस्पिटल के कैम्पस में रहने वाले शांति दानी, अमिता मसीह, शाहिद हुसैन, विनीत मसीह, शांता ब्राउन, अरशद हुसैन समेत अन्य लोगों को तहसीलदार नजूल ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं और नियमित रूप से बिजली बिल, हाउस टैक्स आदि का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके बाद भी तहसीलदार ने बिना सुनवाई और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 का पालन किए बिना मनमानी कार्रवाई की है। अदालत ने बरसात के मौसम और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 दिन की अंतरिम राहत दी है।

याचिका पहले हो चुकी है खारिज

गौरतलब है कि मिशन अस्पताल की स्थापना साल 1885 में हुई। इस जमीन को लीज पर दिया गया। था। लीज साल 2014 में खत्म हो गई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया है। नवीनीकरण के लिए पेश किए गए आवेदन को नजूल न्यायालय ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया। नजूल न्यायायलय के खिलाफ मिशन प्रबंधन ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी। वहां से भी राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नितिन लारेंस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद बुधवार 23 जुलाई की शाम नजूल तहसीलदार ने अस्पताल परिसर में रह रहे 35 परिवारों को 48 घंटे के भीतर घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है।

कानूनी दर्जा "टेनेंट ऑफ सफरेंट" माना गया

प्रशासन की नोटिस के बाद यहां रहने वाले निवासियों ने मांग की थी कम से कम छह महीने का समय उन्हें दिया जाए ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। परिवारों का कहना था कि पिछले चार पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। जब तक अस्पताल संचालित रहा, वे सभी उसके कर्मचारी थे और सेवा देते रहे। अब अचानक बरसात के मौसम में घर खाली करने का नोटिस दिया जाना गलत है। लोगों का कहना है कि वकीलों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि अस्पताल की जमीन की लीज 1994 के बाद नवीनीकृत नहीं हो पाई, जिसके कारण उनका कानूनी दर्जा "टेनेंट ऑफ सफरेंट" यानी शासन की दया पर निर्भर रहने वाला माना गया। उनका आरोप है कि पिछले 30 वर्षों में शासन ने कभी भी उन्हें इस स्थिति की जानकारी नहीं दी गई और ना ही प्रशासन ने अपनी जमीन के रखरखाव में कोई रुचि दिखाई।

11 एकड़ जमीन लीज पर

प्रशासन की ओर से कहा गया कि मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। इसके लिए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को जमीन आवंटित की थी। यह मोहल्ला चांटापारा शीट नंबर 17, प्लाट नंबर 20/1 एवं रकबा 382711 एवं 40500 वर्गफीट है। 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी। जिसकी अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी। जिसमें मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी। इसके बाद इस जमीन को बिजनेस के तौर पर उपयोग किया जाने लगा।